

सींगरी नदी में बहे तीन मासूमों में से दो के शव बराम , एक की तलाश जारी

नरसिंहपुर, देशबन्धु। बीते मंगलवार को नगर के सींगरी नदी में तीन मासूम बच्चे बह गए। जिनकी तलाश हेतु पुलिस एवं स्ट्रक्चर की टीम द्वारा रेस्क्यू चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान मंगलवार देर रात को एक बच्चे का शव मिल गया था, वहीं बुधवार सुबह दूसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया और तीसरे बच्चे के शव की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी अनुसार बीते मंगलवार देर रात 11 वर्षीय अक्षत मेहरा का शव सींगरी नदी के निचले हिस्से में जलभराव वाली जगह से मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं 12 वर्षीय वासु अग्रवाल और 11 वर्षीय कृष्णा प्रजापति की तलाश में बुधवार सुबह से स्ट्रक्चर की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। इस दौरान दूसरे बच्चे वासु अग्रवाल का शव भी बरामद कर लिया गया। अब केवल एक ही बच्चा कृष्णा प्रजापति की तलाश जारी है।

यह है मामला – बीते मंगलवार देर शाम को एक दर्दनाक हादसे में विपतपुरा के तीन मासूम बच्चे सींगरी नदी की बाढ़ में बह गए। सभी बच्चे 11 से 12 वर्ष की उम्र के हैं और शाम को खेलते-खेलते बाढ़ का पानी देखने नदी किनारे पहुंच गए थे। तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे और जानकारी अनुसार बाढ़ का बहाव देखने सींगरी नदी पहुंच गए, जहां तेज धार में बह गए। रात करीब 9:15 बजे परिजनों ने थाना स्टेशनगंज पहुंचकर बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। रेस्क्यू टीमों ने रातभर तलाश जारी रखा । बुधवार 9 जुलाई सुबह एक बच्चे का शव रिप्टापार पुल से आगे बरामद किया गया, जिसकी पहचान अक्षत पिता डालचंद के रूप में हुई



रातभर चला रेस्क्यू, सुबह मिले दो शव, एक अभी भी लापता

है। अन्य दो बच्चों की तलाश में गोताखोरों, पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई थी कि थोड़ी ही देर बाद दूसरे बच्चे का शव भी रेस्क्यू के दौरान बरामद कर लिया गया। तीसरे बच्चे की तलाश में टीम रेस्क्यू कर रही है।

प्रशासनिक टीम का रेस्क्यू जारी – घटना स्थल पर कोतवाली थाना और स्टेशनगंज थाना प्रभारी अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे। नदी में जलकुंभी जमा होने से रेस्क्यू कार्य में कठिनाई आ रही थी। बाबा घाट से रिप्टापार पुल के बीच गोकुलधाम कॉलोनी के पास जलकुंभी ने बहाव को

धीमा कर दिया था जिससे यह क्षेत्र और अधिक संवेदनशील हो गया। स्टेशन थाना प्रभारी और कोतवाली प्रभारी, एसडीईआरएफ कमांडेंट और उनकी टीम घटना स्थल पर सर्चिंग अभियान करती रही। नदी में जमा पेड़ के तनों को आरी मशीन से अलग कराया गया रेस्क्यू में बहुत ही कठनाई आ रही थी बावजूद इसके पुलिस टीम ने रेस्क्यू जारी रखा और तीन में से दो बच्चों के शव को खोज निकाला। उसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार गंभीरता के साथ तीसरे बच्चे के शव की तलाश कर रही है।

प्रशासन ने नागरिकों से की अपील – प्रशासन ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि नदी, नालों और रफ्टों पर बाढ़ का पानी अधिक होने से दूर रहें, खासकर बच्चों को अकेले बाहर न जाने दें। बारिश के दिनों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है।

इनका कहना है – स्टेशनगंज थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि तीनों बच्चे शाम साढ़े पांच बजे घर से निकले थे। रात 9 बजे तक घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी स्टेशनगंज और कोतवाली थाने के 25 पुलिसकर्मियों ने रात 9:15 से ढाई बजे तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि तलाश के दौरान देर रात 11 वर्षीय अक्षत मेहरा का शव सींगरी नदी के निचले हिस्से में जलभराव वाली जगह से मिला शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है । बुधवार सुबह से स्ट्रक्चर की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी इस दौरान 12 वर्षीय वासु अग्रवाल का शव भी मिल गया। अब तीसरे बच्चे 11 वर्षीय कृष्णा प्रजापति अभी भी लापता है जिसकी तलाश जारी है।

नदी में बहे युवक का मिला शव

नरसिंहपुर, देशबन्धु। नगर से निकलने



वाली सींगरी नदी में बीते मंगलवार की दोपहर को एक युवक बह गया था। सूचना मिलने पर पुलिस और होमगार्ड के जवान आए उसे ढूंढने का प्रयास किया गया। किंतु देर शाम तक वह नहीं मिल सका। कोतवाली पुलिस के अनुसार बड़ी मुश्किल के बाद चले रेस्क्यू के दौरान युवक का शव नरसिंहपुर के बड़े पुल के पास बरामद कर लिया गया। जानकारी अनुसार किसानी वाई निवासी युवक जाकिर खान उर्फ भाजा गणेश मंदिर से कचहरी मार्ग को जोड़ने वाले पुल को पार कर रहा था पुल से करीब तीन फीट ऊपर पानी बह रहा था जब वह निकलने लगा तो कई लोगों ने रोका, किंतु किसी की न सुनते हुए पुल पर चला गया और कुछ देर में वह तेज बहाव में बह गया था।

मुख्य अभियंता ने किया औचक निरीक्षण

गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण के दिये निर्देश

नरसिंहपुर, देशबन्धु। मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर ने नरसिंहपुर वृत के अंतर्गत बरमान, करेली ग्रामीण और करेली शहर वितरण केंद्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्य अभियंता महोदय ने 33/11 के व्ही. बरमान उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने विद्युत आपूर्ति की स्थिति, ट्रिपिंग की संख्या, एजी और डीएल फीडरों में आपूर्ति के घंटों के बारे में जानकारी ली, साथ ही उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति देने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं को कॉल करने के लिए सबस्टेशन ऑपरेटर को दी गई कॉलिंग सूची की भी जाँच की। मुख्य अभियंता महोदय ने कॉलिंग सूची पर गहरी



कई कार्यों पर जताई नाराजगी

नरसिंहपुर, देशबन्धु। मुख्य अभियंता जबलपुर ने नरसिंहपुर संभाग के अंतर्गत बरमान, करेली ग्रामीण और करेली शहर विद्युत वितरण केंद्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्य अभियंता ने 33/11 केवी बरमान उपकेंद्र का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने विद्युत आपूर्ति की स्थिति, ट्रिपिंग की संख्या, एजी और डीएल फीडरों में आपूर्ति के घंटों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति देने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं को कॉल करने के लिए सबस्टेशन ऑपरेटर को दी गई कॉलिंग सूची की भी जाँच की। मुख्य अभियंता ने कॉलिंग सूची पर गहरी नाराजगी दिखाई, क्योंकि ऑपरेटर सूची पर ठीक से कॉल नहीं कर रहा था। उन्होंने बरमान डीसी के परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य की प्रशंसा की। बरमान डीसी के बाद, उन्होंने करेली शहर और करेली ग्रामीण डीसी का भी दौरा किया।

कैबिनेट मंत्री पटेल ने की गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित

नरसिंहपुर, देशबन्धु। गुरुपूर्णिमा पर श्रीश्री की वाणियाँ ही हमारा मार्गदर्शन करती हैं। क्योंकि वाणियाँ सत्य हैं और सत्य स्वयं नहीं बदलता,वह जिसे पकड़ लेता है वह बदल जाता है। इसलिए पथिकों और जिज्ञासुओं से परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी कहते थे ध्यान रखो ,मनन करो तुमने सत्य को पकड़ा?। या सत्य ने तुम्हें पकड़ा? आगे चेतवनी देते हुए कहा यदि तुमने सत्य को पकड़ा है तो वह छूट सकता है पर यदि ,सत्य ने तुम्हें पकड़ा है तो फिर सत्य से दूर नहीं हो सकते।

सत्य के बगैर कोई धर्म,धर्म नहीं हो सकता। वैसे ही सत्य के बिना पुरुष पारस नहीं बन सकता,स्त्री का सतीत्व सत्य पर अवलंबित है। 1700 से ज्यादा दिनों से माँ नर्मदा जल पर साधनारत परम पूज्य दादा गुरु जी के सत्संग में उनकी वाणी है –गुरु जब सत्य के रूप में है तो जीव जगत का आधार है और जब वह तत्व के रूप में है तो वह हमारा अस्तित्व है। काल की गणना नहीं जो काल से मंत्रणा सिखाये वह गुरु है। सत्य



गुरुबे नमः जो हमें परिवार,समाज और स्वयं काल से मंत्रणा सिखाये ,महामृत्युंज से मिलाये वह गुरु कहलाये। हर काल में जीना सिखाये वह गुरु है।

अपने जीवन को निर्विकार सत्य पथ पर चलने के लिए संकल्पित हों तो वह सबसे अच्छा और इसके लिए,अपने मै को ,गुरु चरणों में अर्पित कर दो। (यदि ऐसा न कर सको तो ,जो गुरुसत्ता सत्य की प्रस्तुति कर रही है और परमसत्ता की अभिव्यक्ति दे रही है उस गुरु सत्ता के लिए सब अर्पित,तेरा तुझको अर्पण। सत्य हमें स्वीकार कर ले इसके लिए हमें ही पात्रता सिद्ध करनी होगी,पात्रता का यह मार्ग और उस पर चलने की परीक्षा के लिए लिए भौतिक सामर्थ्य से अधिक जरूरी है अंतर्मन की शुद्धि और सत्य

विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पर होगा दो दिवसीय उत्सव

गाडरवारा, देशबन्धु। क्षेत्र के सभी विद्यालयों में 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर उत्सव का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन आज 10 जुलाई को होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से निर्देश जारी किये गए हैं निर्देश में कहा गया है कि आज 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षण संस्थाओं में वीणा वादिनी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर गुरु वंदना की जायेगी। विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु की महिमा पर केन्द्रित व्याख्यान होंगे। इसी के साथ इस दिन गुरुजनों एवं शिक्षकों का सम्मान भी

के साथ खड़े होने का साहस और संकल्प । तो सत्य हमारा हाथ थाम लेगा,यह पात्रता शिष्य को ही साबित करनी होती है। महान ग्रन्थ और संहिता सौन्दर्य लहरी में आद्य शंकराचार्य जी गुरु शिष्य के संबंध को अनुग्रह का संबंध कहते हैं, उस अनुग्रह में गुरु का अनुग्रह नहीं है सिर्फ शिष्य का अनुग्रह ही पूर्ण होने का उल्लेख है। यदि शिष्य का अनुग्रह पूर्ण न हो तो वह गुरु बदल सकता है। इसी प्रकार परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी कहते हैं निर्विकार पथ पंथ नहीं है यह पथ है। इससे अच्छा पथ मिले तो चले जाना जागो और जागो,निर्विकार हो शांति पाओ ॥

पूज्य श्री श्री की वाणी है–सत्य अभिनय नहीं करता,सत्य निर्णय करता है। मैंने निर्विकार पथ के पथिक के रूप में जितना भी चैतन्यतापूर्ण जीवन जिया और जो सत्संग से मिला उसे ही शब्दों के रूप में लौटाने और प्रस्तुत करने की कोशिश है। पथिक डॉ एडीएन वाजपेयी के दोहे के साथ गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएँ । बादल गुरु घन ज्ञान का लिए झुमता जाये।

मैंने निर्विकार पथ के पथिक के रूप में जितना भी चैतन्यतापूर्ण जीवन जिया और जो सत्संग से मिला उसे ही शब्दों के रूप में लौटाने और प्रस्तुत करने की कोशिश है। पथिक डॉ एडीएन वाजपेयी के दोहे के साथ गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएँ । बादल गुरु घन ज्ञान का लिए झुमता जाये।

शालाओं में होगा शैक्षिक ओलंपियाड

गाडरवारा, देशबन्धु। क्षेत्र के समस्त शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थियों को प्रदेश, देश और विश्व के सांस्कृतिक, भौगोलिक ऐतिहासिक परिदृश्य, समसामयिक सामान्य ज्ञान तथा हिन्दी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित विषयों से जोड़ने के लिये मंच क्रिज प्रतियोगिता ओलंपियाड का आयोजन इस वर्ष दो चरणों में जन शिक्षा केन्द्र और जिलास्तर पर किया जा रहा है।

इस वर्ष जन शिक्षा केन्द्र स्तरीय आयोजन सितंबर और जिला स्तरीय आयोजन नवंबर माह में होगा। ओलंपियाड में सहभागिता के लिये विद्यार्थी शिक्षकों के

30 जुलाई तक होगा ऑनलाइन पंजीयन

सहयोग से ऑनलाइन पंजीयन आरएसके एमपी पोर्टल पर 30 जुलाई तक कर सकेंगे।

दूसरी कक्षा के बच्चे ओएमआर शीट पर प्रश्न हल करेंगे – इस वर्ष ओलंपियाड में कक्षा दूसरी से लेकर 8वीं तक प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थी ओएमआर शीट पर प्रश्न हल करेंगे। इस व्यवस्था से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रारंभिक काल से अनुभव प्राप्त होगा। कक्षा 2 और 3 के लिये इंग्लिश, हिन्दी और गणित, कक्षा 4 और 5 के लिए इंग्लिश, हिन्दी, गणित एवं

संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय में ओलंपियाड प्रतियोगिता होगी। ओलंपियाड के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र ने विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए हैं। कक्षा 2 और 3 में प्रत्येक जन शिक्षा केन्द्र से कुल 28 विद्यार्थी जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिये चयनित होंगे। कक्षा 6 से 8 में जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर सर्वाधिक अंको के आधार पर 36 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिये होगा।

पर्यावरण विषय पर और कक्षा 6, 7 और 8 के लिए हिन्दी,

गाडरवारा, देशबन्धु।

विगत दिवस गाडरवारा नगर के वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश बसेडिया ने भारी बारिश व बाढ़ के बीच पहुंचविहीन दुर्गम पहाड़ी वनग्रामो बेरचन टोला एवं पीपला में लगातार वर्षा होने के कारण हुए नुकसान के बाद लोगों की सहायता की। उन्होंने हल्के पुन्न् भारिया, रमिया बाई व सुक्कू भारिया

के तीन घरों व टपरियो की दीवार व छप्पर गिरने की जानकारी लगने पर तत्काल पनी, त्रिपाल, रस्सी व आवश्यक सामग्री प्रदान की। उन्होंने महिलाओं को नवीन साड़ियां, बच्चों को पटन शिक्षण सामग्री के साथ मिडिल स्कूल के बच्चों को आकर्षक स्कूल बैग प्रदान कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया।

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
(अधिनिम्न क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इक्तालिस, नियम 14)
अपील क्रमांक MA/6785/2024
Process Id: 116240/2025
By- Paper Publication, By- ORDINARY Respondent No. 3
Fixed for 18-08-2025
On Admission
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD. ... अपीलार्थी SATISH ... प्रत्यर्थी

सन् 2022 के MACC क्रमांक 134 सन् 2022 में न्यायालय Member, MACT SMT. SAMEEKSHA SINGH, Chhindwara (Madhya Pradesh) की डिप्टी/अदेर, दिनांक 31-05-2024 के विरुद्ध अपील।

प्रति, Shireen Chahuan S/o Mahendra Singh Chauhan, R/o- Niranjan Ward Kareli, P.S./Tehsil Kareli, Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh प्रत्यर्थी

अपील की सुनवाई का दिनांक – कृपया सूचित करें कि ऊपर उल्लिखित अपील की Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीकृत की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 18-08-2025 नियत की गई है। अपीलार्थी, प्रति अपीलार्थी, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर वादग्रह की जानी चाहिए। वादग्रह तथा वादग्रहण वादग्रह करने का दिनांक – कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आगरे वह भी अपील है कि आप दिनांक 18-08-2025 को या उससे पहले ऐसे वादग्रहण और दस्तावेजों की, जो आप वादग्रहण करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करते हुए न्यायालय में परिचलन करें। यदि आप दिनांक 18-08-2025 को या उसके पहले एक विस्तृत सूची वादग्रह करें। अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार करना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद न्यायालय तथा न्यायालय के सहाय प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, अपीलार्थी वादग्रह या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिए त्रिपक्षीय प्राविकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संबंध मिलते न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो न्गे है और निर्णय के लिए उपलब्ध हैं। आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की मुहर से दिया गया।

(1), पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पत्रिकाओं और वादग्रह में से हट कर सत्य से विनिर्दिष्ट करें) (2), वादग्रहण की पुस्तक का पृष्ठ (वादग्रह में भर जायें) (3) यदि आप वादग्रहण की पुस्तक में कोई वादग्रह शामिल नहीं करना चाहते हो, तो वह अपील है कि आप उस दिनांक 18-08-2025 को या उसके पहले एक विस्तृत सूची वादग्रह करें। अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार करना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद न्यायालय तथा न्यायालय के सहाय प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, अपीलार्थी वादग्रह या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिए त्रिपक्षीय प्राविकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संबंध मिलते न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो न्गे है और निर्णय के लिए उपलब्ध हैं। आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की मुहर से दिया गया।

(मुहर) प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)
(अधिनिम्न क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इक्तालिस, नियम 14)
अपील क्रमांक MA/6785/2024
Process Id: 116239/2025
By- Paper Publication, By- ORDINARY Respondent No. 2
Fixed for 18-08-2025
On Admission
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD. ... अपीलार्थी SATISH ... प्रत्यर्थी

सन् 2022 के MACC क्रमांक 134 सन् 2022 में न्यायालय Member, MACT SMT. SAMEEKSHA SINGH, Chhindwara (Madhya Pradesh) की डिप्टी/अदेर, दिनांक 31-05-2024 के विरुद्ध अपील।

प्रति, Chnadrabhan Vishwakarma S/o Motilal Vishwakarma, R/o- Suman Colony Kareli, P.S./Tehsil Kareli, Distt. Narsinghpur, Madhya Pradesh प्रत्यर्थी

अपील की सुनवाई का दिनांक – कृपया सूचित करें कि ऊपर उल्लिखित अपील की Appellant द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीकृत की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 18-08-2025 नियत की गई है। अपीलार्थी, प्रति अपीलार्थी, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर वादग्रह की जानी चाहिए। वादग्रह तथा वादग्रहण वादग्रह करने का दिनांक – कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आगरे वह भी अपील है कि आप दिनांक 18-08-2025 को या उससे पहले ऐसे वादग्रहण और दस्तावेजों की, जो आप वादग्रहण करने का दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करते हुए न्यायालय में परिचलन करें। यदि आप दिनांक 18-08-2025 को या उसके पहले एक विस्तृत सूची वादग्रह करें। अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार करना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद न्यायालय तथा न्यायालय के सहाय प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, अपीलार्थी वादग्रह या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिए त्रिपक्षीय प्राविकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संबंध मिलते न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो न्गे है और निर्णय के लिए उपलब्ध हैं। आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की मुहर से दिया गया।

(1), पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पत्रिकाओं और वादग्रह में से हट कर सत्य से विनिर्दिष्ट करें) (2), वादग्रहण की पुस्तक का पृष्ठ (वादग्रह में भर जायें) (3) यदि आप वादग्रहण की पुस्तक में कोई वादग्रह शामिल नहीं करना चाहते हो, तो वह अपील है कि आप उस दिनांक 18-08-2025 को या उसके पहले एक विस्तृत सूची वादग्रह करें। अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार करना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद न्यायालय तथा न्यायालय के सहाय प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, अपीलार्थी वादग्रह या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिए त्रिपक्षीय प्राविकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संबंध मिलते न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो न्गे है और निर्णय के लिए उपलब्ध हैं। आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की मुहर से दिया गया।

(मुहर) प्रधान सहायक, न्यायिक शाखा

मार्केट वॉच गाडरवारा

बलासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221



- फ़ज्रोपाधि पाठ्यक्रम**
- प्राथमिक चिकित्सा उपचार**
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण**
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा**
- फैशन डिजायनिंग**
- संगणक अनुप्रयोग डीसीए**

प्रवेश प्रारंभ

एसआर एन्क्लेव, जमाड़ा रोड, महाराणा प्रताप वाई, गाडरवारा जिला-नरसिंहपूर, फोन-8989167883

- सनात्कोतर फ़ज्रोपाधि पाठ्यक्रम**
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण**
- आहार एवं जनस्वास्थ्य पोषण**
- सायबर कानून**
- जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन**
- संगणक अनुप्रयोग पीजीडीसीए**